रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 1971/माघ 14, 1892
No. 19] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 1971/MAGHA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd February 1971

SUBJECT:—*Import licences for raw materials and components issued to actual users engaged in I.D.A. industries for the licensing period April* 1970—*March* 1971—*Conversion of.*

No. 14-ITC(PN)/71.—It has been decided that actual users falling under the category of I.D.A.—priority industries as indicated in the Annexure to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 70-ITC(PN)/70, dated the 7th May, 1970 and holding valid A.U. licences for raw materials and components for the licensing period April 1970—March 1971 for import of their requirements against foreign exchange allocations other than I.D.A. credit may, on request, be allowed to get such licences converted into I.D.A. credit licences provided that they can complete shipments/payments before June 30, 1971. It is further clarified that licences so converted would *not* be eligible for extension of the validity period of the licence beyond June 30, 1971 under any circumstance, and that importers who cannot get *all* shipments/payments completed before this date should not apply for such conversion. No requests for any re-conversion would be entertained in such cases.

The licences converted into I.D.A. credit in terms of this Public Notice will be governed by the terms and conditions as announced in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 97-ITC(PN)/70, dated the 8th July, 1970 (except that as mentioned above, the shipments/payments against the converted licences will have to be completed by the licence-holders by the end of June, 1971). This facility will not be available in respect of licences issued for iron and steel items under U.S. AID in terms of Public Notice No. 199-ITC(PN)/69 dated the 22nd December, 1969.

2. The actual users intending to avail of the above facility should make requests for conversion of their licences into I.D.A. credit to the licensing authorities concerned on or before the 1st March, 1971.

BHAGWAN SINGH,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1971

विषय.—अप्रैल, 1970—मार्च 1971, लाइसेंस अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उद्योगों में लगे हुए वास्तविक उपभोक्ताओं को कच्चे माल और संघटकों के लिए जारी किए गए आयात लासेंस—का परिवर्तन।

सं०-14 आई०टी०सी० (पी०एन०)/71.—यह निश्चय किया गया है कि विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 70—आई टी०सी० (पी०एन०)/70, दिनांक 7-5-70 के अनुबंध में यथा निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की श्रेणी में आने वाले वास्तविक उपयोक्ता और जो अपनी आवश्यकताओं के आयात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण से भिन्न विदेशी मुद्रा आवंटन के विपरीत अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 लाइसेंस अवधि के लिए कच्चे माल और संघटकों के लिए वैध वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस धारण किए हुए हैं, उन्हें, उनके आवेदन करने पर ऐसे लाइसेंसों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऋण लाइसेंस में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाएगी, बशर्ते कि वे 30 जून, 1971 से पूर्व पोतलदान/भुगतान को पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे परिवर्तित लाइसेंस की वैधता अवधि 30 जून, 1971 के बाद किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी और यह कि वे आयातक जो उपर्युक्त तिथि से पहले सभी पोतलदान/भुगतान पूर्ण नहीं कर सकते हैं उन्हें ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में किसी भी पुनः परिवर्तन के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण में परिवर्तित लाइसेंस, विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 97—आई० टी० सी० (पी एन०)/70, दिनांक 8 जुलाई, 1970 में यथा घोषित शर्तों के अनुसार अधिशासित होंगे (ऊपर उल्लिखित, परिवर्तित लाइसेंसों के विपरीत लाइसेंस धारी को पोतलदान/भुगतान जून, 1971 के अन्त तक पूर्ण करने होंगे, की शर्त को छोड़कर) यह सुविधा सार्वजनिक सूचना सं० 199—आई०टी०सी० (पी०एन०)/69, दिनांक 22 दिसम्बर, 1969 के अनुसार यू०एस० ए०आई०डी० के अन्तर्गत लोहा तथा इस्पात की मदों के लिए जारी किये गए लाइसेंसों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी।

2. वास्तविक उपभोक्ता जो उपरोक्त सुविधा को उपलब्ध करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि अपने लाइसेंसों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण में परिवर्तन के लिए सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को 1 मार्च, 1971 को या इससे पहले आवेदन करें।

भगवान सिंह,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971